न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/103 **दायरा दिनांक : 19.05.2025**

उनवान

हुकुमचन्द पुत्र गोपाल मेघवाल, निवासी कंवल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.
.... अपीलांट

बनाम

1. कैलाश बाई पुत्री सूरजमल ब्राहमण, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.
2. सत्य नारायण पुत्र सूरजमल ब्राहमण, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.
3. गायत्री बाई पत्नी सत्य नारायण सोनी निवासी कंवल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रमेश चन्द मेघवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 30.01.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या 527/प्रार्थना–पत्र/2021 निर्णय दिनांक 23.05.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खतौनी संख्या नई 739 पुरानी 660 खसरा नं. 219 रकबा 1.2141 हेक्टेयर वाके ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर प्रार्थी के कब्जे व काश्त की जमाबंदी संवत 2074–2077 है। प्रार्थी अपने कब्जे एवं काश्त की आराजी पर हल कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि जिन्स के लाने ले जाने के लिए खसरा नं. 224 की पूर्वी मेड़ पर होकर पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से आते जाते रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने के कारण अपास्त होने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित अवलोकन किये बिना एवं सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य लम्बित विवादग्रस्त प्रश्नों की विधियों के सुसंगत प्रावधानों के अध्ययन किये बिना ही निर्णय किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नं. 222, 223, 221/1299 खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से यह निर्णय पारित किया गया है। खसरा नं. 222, 223, 221/1299 के खातेदारों ने अपीलांट को उसके खाते की आराजी में आने जाने के लिए कभी नहीं टोका उन्होंने उक्त आराजी में आने जाने के लिए अपीलांट के लिए मौके पर 10 फीट चौडा रास्ता छोड रखा है इसलिए उक्त आराजी के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.01.2024 को तहसीलदार हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई मौके की रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अपीलांट को उसके खाते की आराजी खसरा नं. 219 में पहुंचने के लिए खसरा नं. 224 में चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर किये बिना ही यह निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट नं. 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में बतायी गई आपत्ति की अपीलांट ने धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश किया था जो खारिज हो गया है परन्तु यह वाद रास्ते का नहीं था और ना ही इस संबंध में रेस्पोडेंट नं. 2 व 3 द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज पेश किये गये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.04.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–क का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। सुखाचार का सिविल न्यायालय में दावा किया जो हमने नोटप्रेस कर दिया। वादग्रस्त आराजी के लिए रास्ता दिया जाये। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि आराजी खतोनी संख्या नई 739 पुरानी 660 खसरा नं. 219 रकबा 1.2141 हेक्टर वाके ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर प्रार्थी के कब्जे व काश्त की है। प्रार्थी अपने कब्जे एवं काश्त की आराजी पर आने जाने के लिए खसरा नं. 224 की पूर्वी मेड पर होकर पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से आते जाते रहे है। आराजी खसरा नं. 224 रकबा 2.5495 हेक्टर वाके ग्राम गोलाना अप्रार्थी कम 1 ता. 3 के खाते व कब्जे काश्त की है। प्रार्थी अपनी आराजी पर आने जाने के लिए खानपुर से झालावाड मेघा हाईवे पर होकर आराजी खसरा नं. 222, 223 व 221/1299 के बीच की मेड पर होकर आराजी खसरा नं. 224 की पूर्वी मेड पर हेकर आते जाते है। यह रास्ता आज भी विद्यमान है तथा इसी रास्ते से अप्रार्थीगण भी आते जाते है। खसरा नं. 222, 223 व 221/1299 के बीच आज भी 10 फीट चोडा रास्ता मौजूद है, जिस पर अप्रार्थी आते जाते है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को आराजी खसरा नं. 224 की मेड पर होकर निकलने में रूकावट पैदा करने पर आमदा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपने खाते की आराजी पर जाने हल कुली बैलगाडी, ट्रेक्टर, ट्रोली व कृषि की पैदावार को लाने ले जाने के लिए खसरा नं. 224 की दक्षिणी मेड से उत्तरी मेड तक 10 फीट चौडा रास्ता निश्चित किया जावे एवं इस रास्ते का इन्द्राज भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कम 2 व 3 की ओर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी एक वाद माननीय न्यायालय में धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बउनवान हुकमचन्द बनाम सत्यनारायण वगैराह पेश किया था। इस वाद को वादी/प्रार्थी ने सुखाचार के आधार पर प्रस्तुत किया था जो दिनांक 14.11.2019 को खारिज हो चुका है जिसका मुकदमा नं. 891/2019 है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रास्ता विद्यमान होना स्वीकार किया है फिर भी इस प्रार्थना पत्र से नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर यह निर्णय पारित किया है कि प्रार्थी अपनी आराजी में आने जाने के रास्ते हेतु रास्ते में प्रभावित भूमि के समस्त खातेदार एवं सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रार्थी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर की खाता संख्या 739 खसरा नं. 219 रकबा 1.2141 हेक्टर आराजी प्रार्थी अपीलांट के खाते दर्ज है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने खाते की उक्त आराजी खसरा नं. 219 पर पहूंचने हेतु नवीन रास्ता कायम करने के लिए धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी अपने कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 219 पर आने जाने, हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्राली व कृषि जिंस आदि को लाने ले जाने के लिए खानपुर से झालावाड मेगा हाईवे पर होकर आराजी खसरा नं. 222, 223 व 221/1299 के बीच मेड पर होकर आराजी खसरा नं. 224 की पूर्वी मेड पर होकर आता जाता है। यह रास्ता आज भी विद्यमान है। इसी रास्ते से होकर अप्रार्थीगण भी आते जाते हैं। खसरा नं. 222, 223 व 221/1299 के बीच आज भी 10 फीट चौडा रास्ता मौजूद है, लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को आराजी खसरा नं. 224 की मेड पर होकर निकलने में रूकावट पैदा करते हैं।

प्रार्थी अपीलांट के उपरोक्त कथन से यह स्वतः स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नं. 219 पर पहुंचने हेतु खानपुर से झालावाड मेगा हाईवे से होकर खसरा नं. 222, 223 व 221/1299 के बीच मेड पर होकर आराजी खसरा नं. 224 की पूर्वी मेड पर होकर रास्ता विद्यमान है, जिसे केवल खसरा नं. 224 के खातेदार अप्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा अवरूद्ध किया है। अतः यह प्रकरण रास्ते के खुलासे से सम्बन्धित होने के कारण धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी अपीलांट रास्ते के खुलासे हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा